

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर

क्रमांक :प.7 (92)/डीएमई (संस्था)/2020/ 5 857

जयपुर, दिनांक: 14/12/2020

आदेश

वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप से बचाव नियंत्रण आदि हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अन्य विभागों के समन्वय के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य निर्बाध व नियमित रूप से किये जा रहे है। इन कर्मचारियों के ड्यूटी के दौरान संक्रमित होने तथा इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुग्रह/सहायता राशि का यथा समय भुगतान सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत मानक संचालन प्रक्रिया के परिपेक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी परिपत्र संख्या प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 दिनांक 01.12.2020 से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में राज्यकर्मियों के बिन्दु संख्या-01 व संविदा एवं मानदेय कार्मिकों के बिन्दु संख्या-01 के संदर्भ में जारी दिशा-निर्देशों की पालना में चिकित्सा शिक्षा विभाग के स्तर पर निर्देशानुसार अति. निदेशक (प्रशासन) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को एतद् द्वारा "नोडल अधिकारी" नियुक्त किया जाता है।

नोडल अधिकारी:

श्री भवानी सिंह पालावत,
अति. निदेशक (प्रशा.) एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव
निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
दू. न.-0141-2601726


आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

5857
14/12/2020

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सहायक, आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा विभाग